रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1803] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 30, 2010/भाद्र 8, 1932
No. 1803] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 30, 2010/BHADRA 8, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2010

सं. 4 (आर ई-2010)/2009-2014

विषय : गेहूँ के निर्यात पर रोक—बंगलादेश को निर्यात से छूट—के संबंध में ।

का.आ. 2122(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 1.3 और पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3(2) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. 40/2004-2009 दिनांक 12-5-2010 तथा अधिसूचना सं. 33 (आर ई-2007)/2004-2009 दिनांक 8-10-2007 के साथ पठित अधिसूचना सं. 56/2004-2009 दिनांक 6-8-2010 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. अधिसूचना संख्या 56/2009-2014, दिनांक 6-8-2010 की क्रम सं. 2.10 के नीचे पैरा 2 के अंत में निम्नलिखित पैरे को तत्काल प्रभाव से जोड़ा जाएगा :—

बंगलादेश को गेहूँ की उपरोक्त 2 लाख टन मात्रा का निर्यात वाणिज्य विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे मै. एस टी सी और मै. पी ई सी लिमिटेड द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा :—

क्र. सं.	मात्रा (मी. टन)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम जिसके जरिये निर्यात किया जाना है
1.	1,00,000	एस टी सी
2.	1,00,000	पी ई सी
कुल	2,00,000	

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाने वाला उपरोक्त निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम की मौजूदा किफायती लागत पर उनसे स्टॉक लेकर तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ के साथ निर्यात करेंगे ।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गेहूँ की मात्राएं सेन्ट्रल पूल से प्राप्त करेंगे और बंगलादेश सरकार के अनुरोध पर लागत बीमा भाड़ा मूल्य आधार पर इनका निर्यात करेंगे । इससे भाड़ा, बीमा आदि की वजह से अतिरिक्त लागत भार पड़ेगा, जिसे बंगलादेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

(iii) विदेश मंत्रालय, बंगलादेश सरकार को उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बारे में, जिसे उस देश में निर्यात करने के लिए नामित किया गया है, केवल उन्हीं के साथ ठेका करने की सलाह देगा । विदेश मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बंगलादेश में स्थित नामित क्रेता एजेन्सी के बारे में भी जानकारी देगा ।

4. समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. 33 (आर ई-2007)/2004-2009 दिनांक 8-10-2007 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे तथा लागू होंगे ।

5. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

[फा. सं. 01/91/180/773/एएम-10/निर्यात प्रकोष्ठ]

पी. के. चौधरी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th August, 2010
No. 4 (RE-2010)/2009-2014

Subject : Prohibition on Export of Wheat—exemption for export to Bangladesh—regarding

S.O. 2122(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 read with Section 3(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) and also read with Para 1.3 and Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby makes, with immediate effect, the following amendments to Notification No. 56/2004-2009, dated 6-8-2010 read with Notification No. 40/2004-2009, dated 12-5-2010 and also read with Notification No. 33 (RE-2007)/2004-2009 dated 8-10-2007, as amended from time to time.

2. With immediate effect following para shall be added at the end of para 2 below Sl. No. 2.10 of Notification No. 56/2009-2014 dated 6-8-2010 :—

The above quantity of 2 lakh tonnes of wheat to Bangladesh will be exported by the PSUs of Department of Commerce viz. M/s. STC and M/s. PEC Ltd. as follows :—

Sl. No.	Quantity (MTs)	Name of PSU through which export to be made
1.	1,00,000	STC
2.	1,00,000	PEC
Total	2,00,000	

3. The above export by the PSUs shall be subject to the following conditions :—

(i) The PSU(s) will engage in these exports by lifting stocks from FCI at prevalent economic cost to FCI plus the margin for the PSUs;

(ii) The PSUs would lift the quantities of wheat from the Central Pool and export on CIF basis as requested by the Government of Bangladesh. This would entail additional costs on account of freight, insurance etc. which will be borne by the Government of Bangladesh;

(iii) Ministry of External Affairs will advise the Government of Bangladesh about the PSU designated to export to that country for entering into contracts only with the designated PSUs. MEA will also inform the PSU about the designated buying agency in Bangladesh.

4. All other provisions of the Notification No. 33 (RE-2007)/2004-09 dated 8-10-2007, as amended from time to time, shall remain unchanged, and shall continue to apply.

5. This issues in public interest.

[F. No. 01/91/180/773/AM-10/Export Cell]

P. K. CHAUDHERY, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.